प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक – 41 पंजीकरण आरएनआई 26049/74 डाक पंजीकरण एच पी/93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 18 – 25 अक्तूबर 2021 मूल्य पांच रुपए

भ्रष्टाचार उजागर करने पर मंत्री पद खो चुके शांता भी आये चुनाव प्रचार में

शिमला/शैल। दो बार मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार इस समय प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इसी वरिष्ठता के आधार पर वह भाजपा के मार्ग दर्शकों में से एक हैं और इन उपचुनावों में वह पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। स्टार प्रचारक होने के नाते वह भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में भी आ गए हैं। मंडी में जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले भी बोले हैं शांता राजनीति में स्पष्टवादीता के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो शांता सक्रिय राजनीति को अलविदा कह चुके हैं लेकिन जब इस उपचुनाव में वह पार्टी के लिए प्रचार पर उतर आये हैं तो जो सवाल किसी समय शांता स्वंय उठा चुके हैं तो आज उनके जवाब भी उन्हीं से जानना प्रदेश की जनता का हक हो जाता है। क्योंकि इन सवालों के जवाब आज तक कहीं से भी नहीं आये हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ शांता कुमार की प्रतिबद्धता का इसी से पता चल जाता है कि अपने मुख्यमंत्री काल में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड करने का साहस भी उन्होंने ही दिखाया था। पिछले दिनों शांता कुमार की आत्मकथा ''निज पथ का अविचल पंथी'' बाजार में आयी है। इस आत्मकथा में भाजपा सरकार में मंत्री होते हुये उसी सरकार में घटे एक भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने और उस पर कार्रवाई की मांग करने पर कैसे उनको मंत्री पद से हटा दिया गया इसका खुलासा उन्होंने किया है। उनके खुलासे के मुताबिक जब उन्हें केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार मिला तब कुछ सांसद उनसे मिले। इन सांसदों ने उनसे शिकायत की एक प्रदेश को विभाग द्वारा 90 करोड़ का अनुदान दिया जाना स्वीकृत हुआ था। परंतु जब यह अनुदान दिया जाने लगा तब यह राशि 90 करोड़ के बजाये 190 करोड़ कर दी गयी और इसमें लगातार 100 करोड़ का घपला हो रहा था। यह सुनते ही शांता कुमार ने उन सांसदों को प्रतिक्रिया दी कि यह भारत सरकार है कोई बनिये की दुकान नही है जिसमें 90 से पहले एक लगाकर उसको 190 कर दिया जायेगा। शांता की प्रतिक्रिया पर सांसदों ने उन्हें कुछ पेपर दिये और कहा कि आप जांच कर लें और तब संसद में जवाब दें। सांसदों के इस कथन के बाद शांता ने पूरे मामले की जांच करवाई। सारे संबंधित दस्तावेज इकट्ठे किए जब यह सब करने के बाद इस घपले को लेकर संतुष्ट हो गये तब इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री से की और इसकी एक फाइल भी उनको दी। लेकिन शांता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नही हुई। कई और लोगों से भी इसकी चर्चा की सबने जुबान बंद रखने की सलाह दी। अंतत: इस घपले पर कार्रवाई होने की बजाय शांता से ही त्यागपत्र मांग लिया गया । जब शांता ने त्यागपत्र दिया तब वह बहुत व्यथित हुए और उन्होंने भाजपा छोड़ने तथा संसद में इस संबंध में ब्यान देने का मन बना लिया। परंतु उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें ऐसा करने से रोका।

अब अपनी आत्मकथा लिखते हुए वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर पाये। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है कि जब केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री स्तर पर भी भ्रष्टाचार को सरंक्षण दिया जा रहा हो तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे केवल जनता को मूर्ख बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। शांता कुमार ने इस आत्मकथा में और भी कई खुलासे किये हैं। लेकिन इन पर कहीं से कोई खंडन नहीं आया है और यही इनकी प्रमाणिकता का प्रमाण है। शांता कुमार की आत्मकथा अब सार्वजनिक खुलासा और इसको लेकर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। क्योंकि इन तथ्यों के सार्वजनिक होने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकारों के बारे में आम आदमी क्या राय बनायेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खुलासे के बाद भी शांता कुमार भाजपा के लिये चुनाव प्रचार कर रहे हैं और यह करते हुये पार्टी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का यह खुलासा सार्वजनिक करके शांता कुमार ने जनता के प्रति भी अपने धर्म को पूरा कर दिया है। अब यह जनता के अपने विवेक पर है कि वह क्या फैसला लेती है।

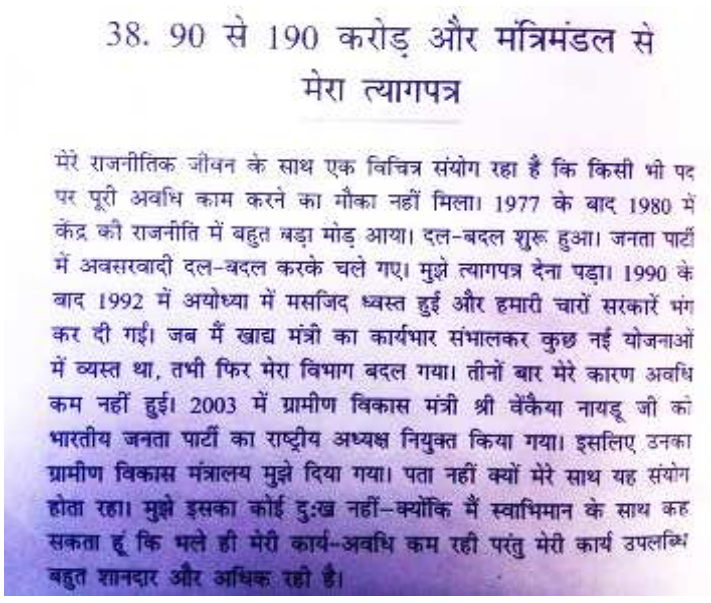
38. 90 से 190 करोड़ और मंत्रिमंडल से मेरा त्यागपत्र

मेरे राजनीतिक जीवन के साथ एक विचित्र संयोग रहा है कि किसी भी पद पर पूरी अवधि काम करने का मौका नहीं मिला। 1977 के बाद 1980 में केंद्र की राजनीति में बहुत बड़ा मोड़ आया। दल-बदल शुरू हुआ। जनता पार्टी में अवसरवादी दल-बदल करके चले गए। मुझे त्यागपत्र देना पड़ा। 1990 के बाद 1992 में अयोध्या में मसजिद ध्वस्त हुई और हमारी चारों सरकारें भंग कर दी गईं। जब मैं खाद्य मंत्री का कार्यभार संभालकर कुछ नई योजनाओं में व्यस्त था, तभी फिर मेरा विभाग बदल गया। तीनों बार मेरे कारण अवधि कम नहीं हुई। 2003 में ग्रामीण विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसलिए उनका ग्रामीण विकास मंत्रालय मुझे दिया गया। पता नहीं क्यों मेरे साथ यह संयोग होता रहा। मुझे इसका कोई दु:ख नहीं–क्योंकि मैं स्वाभिमान के साथ कह सकता हूं कि भले ही मेरी कार्य-अवधि कम रही परंतु मेरी कार्य उपलब्धि बहुत शानदार और अधिक रही है।

उपचुनाव में भ्रष्टाचार पर खामोशी क्यों? क्या कोई राजनीतिक सहमति है

शिमला/शैल। क्या भ्रष्टाचार पर चुप रहने के लिए राजनीतिक दलों में कोई आपसी सहमति बन गयी है। यह सवाल अब जनता में उठने लग पड़ा है। क्योंकि इस उपचुनाव में कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहा है। जबकि महंगाई और बेरोजगारी सिर्फ भ्रष्टाचार की ही देन होते हैं। भाजपा जब विपक्ष में थी तब कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कई आरोप पत्र लाये गये थे। लेकिन जयराम सरकार के अब तक के कार्यकाल में उन आरोप पत्रों पर कोई कार्यवाही सामने नहीं आ पाई है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने भी अभी तक कोई आरोप पत्र सरकार के खिलाफ जारी नहीं किया है। कुछ हल्कों में यह तर्क दिया जा रहा है कि कोविड के कारण जब सारा कामकाज भी बंद था तो फिर भ्रष्टाचार होने की कोई संभावना ही नहीं बची थी। लेकिन यह लोग भूल रहे हैं कि कोविड के कारण लॉकडाउन 24 मार्च 2020 को हुआ था और इस सरकार ने सत्ता 2018 जनवरी में संभाली थी। सत्ता संभालने से लेकर लॉकडाउन लगने तक 2019 का लोकसभा चुनाव भी हुआ है। इस चुनाव से पहले ही 2018 से ही प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना शुरू हो गई थी। इस योजना के तहत ''59 मिनट में एक करोड़ ले जाओ'' किया गया था। हिमाचल सरकार ने इस योजना के तहत 2541 करोड़ का ऋण बांटा है । 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज है। यह योजना भी 2019 में ही समाप्त हो गयी थी । यह जो ऋण बांटा गया था यह सार्वजनिक धन है। इसलिए इस धन का कितना सदुपयोग हुआ है इसमें कितने उद्योग लगे हैं कितना रोजगार पैदा हुआ है इस ऋण में से कितना वापस आया है। कितने लोग नियमित किस्तें दे रहे हैं। इन सवालों के जवाब जानना प्रदेश की जनता का हक है। क्योंकि यह उनका पैसा है। लेकिन यह जानकारी तभी सामने आयेगी जब विपक्ष सदन में यह सवाल पूछेगा और विपक्ष ने इस बारे में एक बार भी सवाल नहीं उठाया है। जबकि चर्चा है कि इस ऋण का अधिकांश एनपीए होकर बैड लोन हो चुका है। यही नहीं जिस कोविडके कारण लॉकडाउन हुआ और सारी गतिविधियां शुन्य हो गयी थी उसी कोविड के नाम पर आपदा प्रबंधन में जो खर्च हुआ है आज शायद उस खर्च के हिसाब किताब के वांछित दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कोविड की रोकथाम के लिए स्थापित किए गए क्वारेन्टिन केंद्रों की अधिसूचना और इन केंद्रों में रखे गए संक्रमितों तथा उन पर हुए

शेष पृष्ठ 8 पर.....

पुलिस स्मृति दिवस पर राज्यपाल ने पुष्पांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला के ऐतिहासिक मालरोड पर हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य बनता है कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को हम याद करें। वह देश की बाहरी सुरक्षा के बारे में जानते हैं और भारतीय सेना देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है परन्तु देश की आन्तरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे बहादुर पुलिस बलों पर निर्भर करती है और हमारे पुलिस कर्मी इस जिम्मेदारी को निभाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि जब हम त्यौहारों और अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होते हैं तो पुलिस बल हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है और अपनी सुविधा की परवाह किए बिना हमें सेवाएं प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस न केवल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे शहीदों को याद करने का दिवस है बल्कि यह सभी पुलिसकर्मियों को प्रेरणा और उदाहरण प्रस्तुत करने का भी दिन है। देश को बांटने वाले तत्त्वों के बावजूद देश की आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य और केन्द्रीय पुलिस बल महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जिसके लिए कृतज्ञ राष्ट्र प्रत्येक वर्ष उनके योगदान को याद करता है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने पुलिस गौरव गीत को भी जारी किया।

इससे पूर्व पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने सभी 377 पुलिसकर्मियों के नाम पढ़कर सुनाए जो पिछले एक वर्ष के दौरान अपने सेवाकाल के दौरान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि 1959 से गत 62 वर्षों से आज तक विभिन्न पुलिस बलों के लगभग 36,000 अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश और समाज की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पूर्व अधिकारी एवं अन्य गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी करवाचौथ की बधाई

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने महिलाओं को करवाचौथ की पूर्व संध्या पर बधाई दी है।

राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि करवाचौथ का त्यौहार वैवाहिक जीवन के सुदृढ़ एवं पवित्र बंधन का द्योतक है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि करवाचौथ महिलाओं का एक पवित्र एवं विशिष्ट त्यौहार है जिसके माध्यम से वे अपने पति की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने लोगों को सत्य और समर्पण के पथ पर चलने का मार्ग दिखाया। उन्होंने प्रदेश के लोगों से महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों पर चलने का आहवान किया।

मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि द्वारा स्थापित आदर्शों का अनुसरण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि एक महान आत्मा थे, जिन्होंने भारतीय महाकाव्य रामायण लिखी, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का एक बड़ा स्त्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ज्ञान और प्रेरणा के स्त्रोत हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हुई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हुई लोगों की असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर बात की और संकट के इस समय में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शान्ति व घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की।

राज्यपाल सचिवालय में ई-ऑफिस कार्यान्वित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सचिवालय को पूरी तरह से ई-ऑफिस में बदल दिया गया है। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर के निर्देशानुसार सचिवालय का कामकाज पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्यपाल ने राजभवन में इस परियोजना को पूरा करने और क्रियान्वित करने के लिए सचिव प्रियतु मंडल को बधाई दी। राज्यपाल के सचिव ने राज्यपाल को ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर से अवगत करवाया और कहा कि इस परियोजना के कार्यान्वयन से कार्य में पारदर्शिता और गति आएगी तथा समय की भी बचत होगी।

राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल के निर्देशानुसार अगस्त माह से ई-ऑफिस का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसे 22 अक्तूबर को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं एनआईसी के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ है। ई-ऑफिस समाधान को एनआईसी नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है और वित्त वर्ष 2016-17 से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि करीब 500 फाइलों को स्कैन कर ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके लिए करीब 82 हजार पेपर स्कैन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के अनुसार एक साल में करीब 190 पेपर रिम्स की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि विभागों में फाइलों के काम को स्वचालित करने के लिए ई-ऑफिस आवेदन लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस एक कार्यप्रवाह आधारित प्रणाली है, जो फाइलों की मौजूदा मैनुअल हैंडलिंग को एक अधिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से बदल देती है। इस प्रणाली में सभी चरण शामिल हैं, जिसमें आवक प्राप्तियों का डायरीकरण, फाइलें तैयार करना, प्राप्तियों और फाइलों की आवाजाही और अंत में अभिलेखों का संग्रह शामिल है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के साथ, रसीदों और फाइलों की आवाजाही निर्बाध सुनिश्चित होती है। इस प्रणाली के माध्यम से कार्य में और अधिक पारदर्शिता आती है, क्योंकि फाइल पर की गई प्रत्येक कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जाती है।

प्रवक्ता ने कहा कि ई-फाइलों को आसानी से खोजा और प्राप्त किया जा सकता है और उन पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इन फाइलों को रेफरेंस फाइलों, दस्तावेजों, नियम और निर्णयों से भी लिंक किया जा सकता हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, क्योंकि सभी आवश्यक जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होती है।

चंबा जिला के पांगी में भेजी 55 ईवीएम व वीवीपैट मशीनें

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी. पालरासु ने कहा कि आगामी 30 अक्तूबर, 2021 को निर्धारित एक लोकसभा क्षेत्र और तीन विधानसभा क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रें में ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्रों तक ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मंडी लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत चंबा जिला के भरमौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले पांगी क्षेत्र के लिए 55 ईवीएम और 55 वीवीपैट मशीनें कमिशनिंग के उपरांत कड़ी सुरक्षा के बीच भेजी गईं हैं। मंडी लोक सभा क्षेत्र के उप-निर्वाचन के दौरान इन ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का उपयोग पांगी क्षेत्र में स्थापित 37 मतदान केंद्रों में मतदान के लिए किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

खेलो इंडिया के लिए हो जाओ तैयार ऑनलाइन द्वितीय राज्यस्तरीय योगासन स्पर्धा के माध्यम से

शिमला/शैल। योगासन खेल महासंघ की ओर से 24 अक्तूबर 2021 को द्वितीय राज्यस्तरीय ऑनलाइन योगासन प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इसमें विजेता प्रतिभागी 25 अक्तूबर से 12 नवम्बर 2021 तक राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।

आपको बताते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि मार्च2021 में प्रथम राज्य स्तरीय योग आसन प्रतियोगिता अध्यक्ष लीला धर शर्मा की अध्यक्षता में सभी सदस्यों की सहायता से करवाई गई थी जिसमें प्रदेश के लगभग सभी जिलों से बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था।

हिमाचल प्रदेश योग खेल संघ, राष्ट्रीय योग खेल महासंघ से पंजीकृत है जो कि खेल मंत्रालय द्वारा पंजीकृत एक मात्र योग संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग संघ से जुड़े हैं जिसके अध्यक्ष स्वामी रामदेव व महासचिव डा. एच आर नागेन्द्रा है।

राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ से संबद्ध हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ अध्यक्ष लीला धर शर्मा ने कहा कि प्रदेश से खेलो इंडिया के लिए द्वितीय राज्यस्तरीय ऑनलाइन योगासन प्रतियोगिता करवाई जा रही है। जिसमें बच्चों का योग खेल में भविष्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस बार प्रतियोगिता विभिन्न प्रकार से करवाई जाएगी जो इस प्रकार से रहेगी।

Traditional Yogasana
Artistic Yogasana Single
Artistic Yogasana Pair
Rhythmic Yogasana Pair
Artistic Yogasana Group

इसमें भाग लेने के लिए आयु वर्ग बालकों/बालिकाओं के लिए इस प्रकार से है सब-जुनियर 9पल्स से 14 वर्ष, जुनियर 14 पल्स से 18 वर्ष व सिनियर 18 पल्स से 28 वर्ष होगा। प्रतिभागियों को योगासन खेल एसोसिएशन के ऑनलाइन गूगल फार्म https://forms.gle/QCtAnh8EGLDicWE69 में अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 23 अक्तूबर 2021, सांय 8:00 बजे तक है। पंजीकृत बच्चों को फाइनल राउंड में प्रदर्शन करना होगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 28 शिकायतों का निपटारा

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी. पालरासु ने बताया कि मंडी लोकसभा क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की व जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के दृष्टिगत संबंधित जिलों में लागू आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि उप-निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध व त्वरित निपटारे के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित विभागों के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन विभाग के पास अभी तक 47 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 28 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और शेष शिकायतों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा निपटाई जा रही हैं और ऐसी शिकायतें आमतौर पर चुनाव आयोग के स्तर पर नहीं भेजी जाती हैं।

लाहौल-स्पीति जिला के काजा में हवाई मार्ग से भेजी 40 ईवीएम व वीवीपैट मशीनें

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी. पालरासु ने बताया कि मंडी लोकसभा तथा फतेहपुर, अर्की व जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्रों तक ईवीएम मशीनें पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध किये गए हैं।

उन्होंने बताया कि मंडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लाहौल-स्पीति जिला के काजा क्षेत्र के लिए 40 ईवीएम और वीवीपैट मशीनें कमिशनिंग के उपरांत कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजी गईं। मंडी लोक सभा उप-निर्वाचन के दौरान इन ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का उपयोग काजा क्षेत्र में स्थापित 29 मतदान केंद्रों में मतदान के लिए किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लाहौल-स्पीति जिला के टाशीगंग में समुद्र तल से सर्वाधिक 15,256 फीट की ऊंचाई पर मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 8,500 फीट की ऊंचाई पर अढैल मतदान केंद्र स्थित है। सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र में 6,204 फीट की ऊंचाई पर पम्बड मतदान केंद्र तथा जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में अगाहर मतदान केंद्र समुद्र तल से 2,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित इन मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से सभी प्रबन्ध सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने देश की जनता को कोविड-19 के 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और देशवासियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ें लोगों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनके समर्पण और अथक प्रयासों के कारण ही यह कठिन कार्य संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता और सक्षम नेतृत्व को जाता है जो देश के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पात्र लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक देने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है और इस वर्ष नवम्बर के अन्त तक सभी पात्र आबादी के शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पात्र आबादी को 88.15 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी है जिसमें 56.95 लाख पहली और 31.21 लाख दूसरी खुराक शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वह कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए अपनी बारी के अनुसार टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि हम नवम्बर माह के अन्त तक प्रदेश की पात्र आबादी का शत-प्रतिशत टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल कर सकें।

आयोडीन युक्त नमक शरीर में आने वाले अनेक विकारों को रोकने में सक्षम

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि आयोडीन की कमी के कारण शरीर में अनेक विकार पैदा होते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाले इन विकारों को रोकने, नियंत्रित करने और खाने में आयोडीन युक्त नमक की शत्-प्रतिशत् खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष 21 अक्तूबर को आयोडीन दिवस मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य में आयोडीन युक्त नमक के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और नमक में आयोडीन की मात्रा की जांच के लिए सभी जिलों में नमक परीक्षण किट वितरित की गई है। मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल एसएमएस के माध्यम से भी लोगों को खाद्य नमक में आयोडीन की मात्रा के बारे में जागरूक किया जा रहा हैं। इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा भी लोगों को आयोडीन युक्त नमक के लाभों से अवगत करवाया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि आयोडीन की कमी से व्यक्ति के शरीर में हर वक्त थकान, कब्ज, रूखी त्वचा, बालों का गिरना और वजन बढ़ने जैसी परेशानियां हो सकती है। कुछ लोगों को आयोडीन की कमी के कारण मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है।

उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत राज्य में नमक में आयोडीन की कमी की जांच के लिए नमक परीक्षण किट हर वर्ष दी जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में नमक में आयोडीन की मात्रा पर किए गए एक सर्वेक्षण में जिला बिलासपुर में 45.8 प्रतिशत, चम्बा में 92.7 प्रतिशत, हमीरपुर में 97. 4 प्रतिशत, कागड़ा में 99.2 प्रतिशत, किन्नौर में 84.7 प्रतिशत, कुल्लू में 97.3 प्रतिशत, मण्डी में 97.7 प्रतिशत, शिमला में 96.2 प्रतिशत, सोलन में 94.03 प्रतिशत और जिला ऊना में 96.01 प्रतिशत आयोडीन की मात्रा नमक में पाई गई।

उन्होंने लोगों से शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होने वाले अनेक विकारों को रोकने या नियंत्रित करने के लिए खाने में आयोडीन युक्त नमक का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया।

उप-निर्वाचन में चुनाव प्रचार की समय सीमा का करें अनुपालन

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, सी. पालरासु ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत उप-निर्वाचन-2021 के दौरान चुनाव प्रचार की अवधि सीमित की है।

उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार इन उप-चुनावों के दौरान चुनाव प्रचार की अवधि प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 7.00 बजे तक निर्धारित की गई है। इसी प्रकार मौन की अवधि (साइलेंस पीरियड) मतदान समाप्त होने की तिथि से 2 दिन पूर्व से बढ़ाकर 3 दिन पूर्व की गई है, जो कि 27 अक्तूबर, 2021 सायं 6.00 बजे के बाद शुरू हो जाएगी।

उन्होंने मंडी लोकसभा तथा फतेहपुर, जुब्बल-कोटखाई और अर्की विधानसभा क्षेत्रों के उप-निर्वाचन में भाग ले रहे सभी प्रत्याशियों तथा राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार से संबंधित इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना का आग्रह किया है।

प्रदेश में चलाया जाएगा नशा जागरूकता अभियान:जे.सी. शर्मा

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा ने राज्य स्तरीय नशा जागरूकता अभियान सम्बन्धी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में नवम्बर माह में नशा जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जागरूकता

गतिविधियों सहित नशीले पदार्थों के उन्मूलन के लिए कारगर कदम उठाए जायेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों में मादक पदार्थों का सेवन चिन्ता का विषय है और राज्य से नशे के उन्मूलन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें। इस अभियान के दौरान वन विभाग द्वारा राज्य में नशीले पदार्थों की खेती को नष्ट किया जायेगा और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। अभियान के शुभारम्भ के अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों को नशे के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जागरूक किया जाएगा और नशा निवारण सम्बन्धी शपथ दिलाई जायेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और शिक्षा विभाग के संयुक्त समन्वय द्वारा नशे के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी तथा नाटक का भी आयोजन किया जाएगा। नशे के दुष्प्रभावों से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री को भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा इस अभियान से सम्बन्धित कर्टन रेज़र तैयार किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इस अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए नाटक नारालेखन, पेंटिंग प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता ग्राम पंचायतों, महिला मण्डलों और पाठशालाओं में जाकर नशे के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत करवाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर बुधवार को नशे सम्बन्धी परामर्श के लिए विशेष ओपीडी का प्रावधान किया जाएगा। इस दौरान प्रदेशभर में नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के प्रतिनिधियों सहित गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलों में उपायुक्त इस अभियान का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के समन्वयक एवं सलाहकार ओ.पी. शर्मा, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।

राज्य में 55 प्रतिशत से अधिक को लगाई जा चुकी है कोविड की दूसरी खुराक

शिमला/शैल। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत राज्य में कुल लक्षित पात्र आबादी में से 55.6 प्रतिशत आबादी को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रभावी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के कारण ही राज्य सरकार प्रदेश में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 55 लाख 23 हजार पात्र लोग है, जिनका कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के दृष्टिगत राज्य में अब तक 30,71,853 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के लिए लक्षित पात्र आबादी का टीकाकरण करने में जिला किन्नौर 102.8 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर जहां प्रदेश भर में अग्रणी बना हुआ हैं, वहीं जिला लाहौल-स्पीति 82.1 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर दूसरे जबकि जिला सोलन 73.6 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर तीसरे स्थान पर बना हुआ हैं।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने में जिला बिलासपुर ने 64.7 प्रतिशत, जिला चंबा ने 42.5 प्रतिशत, जिला हमीरपुर ने 56.7 प्रतिशत, जिला कांगड़ा ने 51.1 प्रतिशत, जिला कुल्लू ने 53.6 प्रतिशत, जिला मंडी ने 51. 8 प्रतिशत, जिला शिमला ने 60.2 प्रतिशत, जिला सिरमौर ने 44 प्रतिशत और जिला ऊना ने 61.3 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किया हैं। प्रवक्ता ने पहली खुराक लगवा चुके सभी पात्र लोगों से दूसरी खुराक लगवाने के लिए निर्धारित समयावधि पूरी होते ही जल्द से जल्द कोविड -19 के खिलाफ अपनी दूसरी खुराक लगवाने का आग्रह किया हैं।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत टीकाकरण के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे परस्पर दूरी बनाए रखना, साबुन से हाथ धोना या सैनिटाईजर से हाथ साफ करना और मास्क का उपयोग करना आदि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए –

.....चाणक्य

सम्पादकीय

कर्ज लेकर घी पीने का परिणाम है कीमतों का बढ़ना

अभी जयराम सरकार ने सस्ते राशन के तहत मिलने वाली दालों चने और माश की कीमतों में दो रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसका सीधा असर करीब 19 लाख लोगों पर पड़ेगा। इससे पहले खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ाई गयी थी। यह कीमतें उस समय बढ़ाई गयी हैं जब प्रदेश में उपचुनावों का चुनाव प्रचार पूरे जोरों से चल रहा है क्योंकि तीस अक्तूबर को मतदान होना है। महंगाई पहले ही चुनाव में केंद्रीय मुद्दा बन चुकी है। इसके बावजूद इन कीमतों का बढ़ाया जाना यह प्रमाणित करता है कि ऐसा कुछ जरूर है जिसके ऊपर सरकार चाह कर भी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इन कीमतों का असर सस्ता राशन लेने वालों पर ही नही वर्ण प्रदेश की 72 लाख जनता पर पड़ेगा ही तय है। केंद्र सरकार को हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं इसलिए राज्य सरकारों को भी चीजों की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह कीमतें क्यों बढ़ानी पड़ रही हैं पाठकों को याद होगा कि जब मैंने 'बैड बैंक' क्यों बनाना पढ़ा लिखा था तब यह आशंका जताई थी कि महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण करना असंभव हो जाएगा वह आशंका सही सिद्ध हो रही है। सरकार के कुछ मंत्रियों और अन्य लोगों ने कीमतें बढ़ने को कोरोना के लिए खरीदी गयी वैक्सीन को कारण बताया है क्योंकि वैक्सीन लोगों को मुफ्त लगाई गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि कांग्रेस शासन में भी तो महंगाई हुई थी। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने तो बढ़ोतरी की तुलना प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि के साथ करते हुए यहां तक कह दिया है चीजें महंगी नहीं सस्ती हुई जब सरकार के मंत्री अर्थशास्त्र के इतने ज्ञाता हो जाएंगे तो फिर जनता को और महंगाई के लिए तैयार रहना ही होगा।

इस संद्धर्भ में यदि जयराम सरकार की कुछ कारगुजारी पर नजर डालें तो यह मानना पड़ेगा कि या तो यह सरकार कर्ज लेकर घी पीने के मार्ग पर चल निकली है जिससे पीछे मुड़ना कठिन हो गया है या फिर इस सरकार के मित्र और अफसरशाही इसे बुरी तरह गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि अभी उपचुनाव के दौरान ही पहले खाद्य तेलों और अब दालों के दाम बढ़ाये गये है। इस उपचुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया कि उन्हें हवा में उड़ने की आदत हो गई है वह सड़क मार्ग से यात्रा ही नहीं करते। इसीलिए अपने चुनाव क्षेत्र में छः हेलीपैड बना लिए हैं। एक पंचायत से दूसरी पंचायत में हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं। विधायक विक्रमादित्य ने इन हेलीपैडों की संख्या चौदह बताई है। सरकार इस संख्या का खंडन नहीं कर पायी है। जिन लोगों को यह जानकारी है कि मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी दो मंजिला आवास ओक ओवर में भी आने जाने के लिए लिफ्ट का निर्माण करवा लिया है वह हेलीपैडों की संख्या पर अविश्वास नहह्ह कर पायेंगे। इस सरकारी आवास में पहले के सारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वह सभी आयु में इनसे बड़े थे। यह लिफ्ट और इतने हेलीपैड बनवाने पर यह सवाल उठना स्वभाविक है कि कर्ज लेकर किए गए यह निर्माण किसी भी तर्क से विकास नहीं ठहराया जा सकता। फिर कल को इन हेलीपैडों की संभाल करने के लिए पैसा कहां से आ आयेगा। क्या आगे वाले मुख्यमंत्री सिराज को इतना समय दे पायेंगे कि हर हेलीपैड पर वह हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जायेंगे। मुख्यमंत्री के हर बजट में ऐसी कई-कई घोषणाएं हैं जो कर्ज लेकर ही पूरी की जा सकेंगी और उनसे राजस्व में कोई आय नहीं होगी।

इस समय देश ऐसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है की जब बैंकों का एनपीए दस ट्रिलियन करोड़ हो गया तो सरकार को इसकी रिकवरी के लिए बैड बैंक बनाना पड़ा। लेकिन इस बैड बैंक को भी अभी तक 10 प्रतिश्त सफलता नहीं मिल पाई है। इसी कारण से सरकार को बैंकों में बीस हजार करोड़ डालना पड़ा है ताकि उनकी बैलेंस शीट में सुधार आ सके। आने वाले दिनों में बैंक की रिस्क मनी में और बढ़ौतरी होने की संभावना है। यह सब कूछ नोटबंदी के फैसले के बाद के परिणाम हैं। नोटबंदी के बाद ऑटोमोबाइल और रियल स्टेट सेक्टरों को जो आर्थिक पैकेज दिये गये थे उनसे कोई सुधार नहीं हुआ। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना में बिना गारंटी के कर्ज दिये गये। फिर कोरोना काल के सारे आर्थिक पैकेजों में कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन सारे फैसलों का परिणाम है बैड बैंक की स्थापना और अब इससे वेतन और पेंशन के प्रभावित होने की संभावना है। इस आर्थिक संकट के लिए पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराना कठिन हो जायेगा। क्योंकि इससे समर्थक और विरोधी सभी एक साथ और एक सम्मान प्रभावित होंगे।

हमास के रास्ते पर पीएफआई, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कर रहा है कोशिश

गौतम चौधरी

इस्लाम के एक विशेषज्ञ और पूर्व पीएफआई समर्थक ने 2015 में दिल्ली में अपने कार्यालय में कहा था कि पीएफआई नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि वे 'हाराकी' यानी आंदोलन के लोग हैं, जिनकी इस्लाम की अवधारणा दूसरी इस्लामी आंदोलनों से जुड़े 'हमास या मुस्लिम ब्रदरहुड' के समान है। इसी तरह, 2012 में मैंगलोर में पीएफआई मीडिया हाउस में, संगठन के अध्यक्ष ने लोगों को अध्ययन करने की सलाह दी कि किस तरह के इस्लाम ने हमारे आंदोलन को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा था कि हम तब्लीगी जमात या सलफियों की तरह क्यों नहीं हैं? उन्होंने यह भी कहा था कि सलाफी या तब्लीगियों की तहर हम नहीं हो सकते लेकिन हमास की हरत हैं।

उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख ऑक्सफोर्ड रिसर्च स्कॉलर अरंड्ट-वाल्टर एमेरिच द्वारा लिखित 'इस्लामिक मूवमेंट्स इन इंडिया, मॉडरेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स' पुस्तक में किया गया है। हाल ही में, यह पुस्तक तब ध्यान में आई जब पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से सिफारिश की पीएफआई को समझने के लिए इसे पढ़ना चाहिए। अनीस अहमद का दुस्साहस चैंकाने वाला है कि वह खुले तौर पर हमास के साथ अपनी पार्टी की संबद्धता को स्वीकार कर रहे हैं। लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएफआई भारत में हमास मॉडल को दोहराना चाहता है। हमास की स्थापना पहले हरकत-अल - मुकायमत-अल -इस्लामिया के रूप में मुस्लिम ब्रदरहुड नेताओं द्वारा 1987 में की गयी थी। यह गाजा आधारित राजनीतिक संगठन है। जानकारी में रहे कि मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सऊदी अरब स्थायी समिति फॉर स्कॉलरली रिसर्च एंड इफ्ता द्वारा आतंकवादी और गुमराह संप्रदाय घोषित किया जा चुका है। हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है और सऊदी अरब, मिस्र जैसे कई इस्लामी देशों के साथ साथ यूएएस, जॉर्डन, यूएसए, यूके, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल आदि द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही हमास नेता इस्माइल हनीयेह को संयुक्त राष्ट्र विश्व आतंकवादी सूचि में डाल रखा है।

हमास खुद को एक इस्लामिक संगठन के रूप में दावा करता है और फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए इजरायल के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है। आत्मघाती बम विस्फोटों और आतंकवादी हमलों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से भी वह गुरेज नही करता है, जबकि इस्लाम के कई प्रमुख विद्वानों ने आत्मघाती बम विस्फोट व आतंकी हमलों के खिलाफ फतवा जारी कर रखा है। बावजूद इसके हमास इन गैर इस्लामिक कार्यों में संलिप्त है। जिन इस्लामिक विद्वानों ने इन कृत्यों को गैर इस्लामिक घोषित कर रखा है, उनमें सऊदी अरब के वर्तमान ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल-शेख, शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज भी शामिल हैं। इसके अलावे सऊदी अरब के पूर्व मुफ्ती और शेख मुहम्मद बिन सालेह अल-उथैमीन तथा यमन के शेख मुकबिल बिन हादी आदि विद्वानों ने भी आत्मघाती हमले व आतंकवाद पर फतवा जारी कर रखा है।

जब से हमास ने फिलिस्तीन में बढ़त हासिल की है, यह फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन -पीएलओ के वैध अधिकार को तहस-नहस कर दिया है। हमास लगातार सांप्रदायिक संघर्ष में लिप्त है और अपने विरोधी शांतिवादी मुस्लिम नेताओं की भी हत्या कर रहा है। यहां तक कि वे हजारों रक्षाहीन फिलिस्तीनियों को मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों को इजरायल के साथ घातक संघर्ष ढकेल रहा है। यही नहीं हमास के नेता गाजा के लोगों के नाम पर अर्जित की गयी विशाल दान राशी को अपने भव्य जीवन शैली और व्यक्तिगत संपत्ति निर्माण पर खर्च कर रहे हैं।

भारत में इस्लाम की सरपरस्ती का दावा करने वाला पीएफआई भी हमास के नक्शेकदम पर चल रहा है। उसी का तौर-तरीका अपना रहा है। पीएफआई ने हमास की तरह ही कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। जैसे-बैंगलोर डीजे हल्ली हिंसा, केरल में एक प्रोफेसर का हाथ काटना, उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे और कई अन्य आपराधिक घटनाएं। संगठन के नेता अनीस ने खुद स्वीकार किया कि पीएफआई पूरे भारत में करीब चार से पांच हजार केस लड़ रहा है। कुछ इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि पीएफआई भावनात्मक और आकर्षक नारों के माध्यम से मुस्लिमों की भावनाओं का शोषण कर रहा है, जो मुसलमानों को विशेष रूप से युवाओं को कट्टरता और उग्रवाद की ओर ले जा रहा है। यह भारतीय बहुसांस्कृतिक देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। यहां तक कि वे अपनी आपराधिक गतिविधियों को सही ठहराने के लिए इस्लामी धर्मग्रंथों का सहारा ले रहे हैं। ये इस्लाम धर्म की छवि को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए, मुस्लिम धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक नेताओं को इस प्रकार के संगठनों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। पीएफआई को चेतावनी देने के लिए आगे आना चाहिए। अन्यथा पीएफआई शांतिप्रिय और सच्चे भारतीय मुसलमानों को चैराहों पर लाकर खड़ा कर देंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक भारत का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है। इसलिए हम सभी को मिलकर भारतीय संविधान की रक्षा करनी चाहिए और जो भी संगठन, समुदाय, व्यक्ति या समूह संविधान की अवहेलना करता है उसके खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। पीएफआई जैसे संगठनों का भारतीय संविधान में आस्था नहीं है। सच पूछिए तो ऐसे सिरफिरे लोगों का गिरोह किसी धर्म का कल्याण नहीं कर सकता है। इनका पवित्र कुरान पर भी भरोसा नहीं है। यदि होता तो हिंसा में विश्वास नहीं करते। इसलिए ऐसे संगठनों से हमें सावधान रहना चाहिए और अपने दीन की रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए।

ऐसे तो पीएफआई के नेता खुल कर स्वीकार कर रहे हैं कि उनका काम करने का तरीका हमास और ब्रदरहुल की तरह है लेकिन सरकार को इस दिशा में सजगता दिखाते हुए इसकी जांच करनी चाहिए। जांच में यदि संलिप्तता दिखती है तो ऐसे संगठन को पूरे देश भर में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। वैसे इसे झारखंड में प्रतिबंधित किया जा चुका है। झारखंड म डल पर ही इस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाए जाने की जरूरत है। भारत के लिए विशेष रूप से भारत के मुसलमानों के लिए पीएफआई खतरनाक हैं क्योंकि वे उन्हें कट्टरपंथ, उग्रवाद की ओर ले जाएंगे, जो देश में आतंकवाद को जन्म देगा। भारत में विभिन्न धर्म, संस्कृति, समुदाय आदि के लोग निवास करते हैं। भारत में किसी प्रकार का चरमवाद सफल नहीं हो सकता है। यदि कोई पक्ष उस दिशा में प्रयास करेगा तो पूरा का पूरा समाज अशांत हो जाएगा।?

यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि पीएफआई भारत में सांप्रदायिक संघर्ष, आत्मघाती बम विस्फोट और आतंकवादी हमले शुरू करना चाहता है। अब समय आ गया है कि सरकार पीएफआई की नापाक हरकतों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाकर उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाए, नहीं तो ये समाज को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा।

टीम इंडिया– सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना

शिमला। भारत ने टीकाकरण की शुरुआत के मात्र 9 महीनों बाद ही 21 अक्तूबर, 2021 को टीके की 100 करोड़ खुराक का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोविड –19 से मुकाबला करने में यह यात्रा अद्भुत रही है, विशेषकर जब हम याद करते हैं कि 2020 की शुरुआत में परिस्थितियां कैसी थह्न। मानवता 100 साल बाद इस तरह की वैश्विक महामारी का सामना कर रही थी और किसी को भी इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हमें यह स्मरण होता है कि उस समय स्थिति कितनी अप्रत्याशित थी, क्योंकि हम एक अज्ञात और अदृश्य दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, जो तेजी से अपना रूप भी बदल रहा था।

चिंता से आश्वासन तक की यात्रा पूरी हो चुकी है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के फलस्वरूप हमारा देश और भी मजबूत होकर उभरा है।

इसे वास्तव में एक भगीरथ प्रयास मानना चाहिए, जिसमें समाज के कई वर्ग शामिल हुए हैं। पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए, मान लें कि प्रत्येक टीकाकरण में एक स्वास्थ्यकर्मी को केवल 2 मिनट का समय लगता है। इस दर से, इस उपलब्धि को हासिल करने में लगभग 41 लाख मानव दिवस या लगभग 11 हजार मानव वर्ष लगे।

गति और पैमाने को प्राप्त करने तथा इसे बनाए रखने के किसी भी प्रयास के लिए, सभी हितधारकों का विश्वास महत्वपूर्ण है। इस अभियान की सफलता के कारणों में से एक, वैक्सीन तथा बाद की प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा था, जो अविश्वास और भय पैदा करने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद कायम रहा।

हम लोगों में से कुछ ऐसे हैं, जो दैनिक जरूरतों के लिए भी विदेशी ब्रांडों पर भरोसा करते हैं। हालाँकि, जब कोविड –19 वैक्सीन जैसी महत्वपूर्ण बात सामने आयी, तो देशवासियों ने सर्वसम्मति से 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन पर भरोसा किया। यह एक महत्वपूर्ण मौलिक बदलाव है।

भारत का यह टीका अभियान इस बात का एक उदाहरण है कि अगर यहां के नागरिक और सरकार जनभागीदारी की भावना से लैस होकर एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर साथ आएं, तो यह देश क्या कुछ हासिल कर सकता है। जब भारत ने अपना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, तो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह करने वाले कई लोग थे। कुछ लोगों ने कहा कि भारत को 3–4 साल लगेंगे। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि लोग टीकाकरण के लिए आगे नहीं आएंगे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया घोर कुप्रबंधन और अराजकता की शिकार होगी। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि भारत सप्लाई चेन को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। लेकिन जनता कर्फ्यू और उसके बाद के लॉकडाउन की तरह, भारत के लोगों ने यह दिखा दिया कि अगर उन्हें भरोसेमंद साथी बनाया जाए तो परिणाम कितने शानदार हो सकते हैं।

जब हर कोई जिम्मेदारी उठा ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे स्वास्थ्य कलमयों ने लोगों को टीका लगाने के लिए कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पहाड़ियों और नदियों को पार किया। हमारे युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक एवं धार्मिक नेताओं को इस बात का श्रेय जाता है कि टीका लेने के मामले में भारत को विकसित देशों की तुलना में बेहद कम हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा है।

अलग–अलग हितों से संबद्ध विभिन्न समूहों की ओर से टीकाकरण की प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता देने का काफी दबाव था। लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हमारी अन्य योजनाओं की तरह ही टीकाकरण अभियान में भी कोई वीआईपी संस्कृति नहीं होगी।

वर्ष 2020 की शुरुआत में जब दुनिया भर में कोविड –19 फैल रहा था, तो हमारे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट था कि इस महामारी से अंततः टीकों की मदद से ही लड़ना होगा। हमने जल्दी तैयारी शुरू कर दी। हमने विशेषज्ञ समूहों का गठन किया और अप्रैल 2020 से ही एक रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया।

आज तक केवल कुछ चुनिंदा देशों ने ही अपने स्वयं के टीके विकसित किए हैं। 180 से भी अधिक देश टीकों के लिए जिन उत्पादकों पर निर्भर हैं वे बेहद सीमित संख्य्या में हैं। यही नहीं, जहां एक ओर भारत ने 100 करोड़ खुराक का अविश्वसनीय या जादुई आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर दर्जनों देश अब भी अपने यहां टीकों की आपूर्ति की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए कि यदि भारत के पास अपना टीका नहीं होता तो क्या होता। भारत अपनी इतनी विशाल आबादी के लिए पर्याप्त संख्या में टीके कैसे हासिल करता और इसमें आखिरकार कितने साल लग जाते? इसका श्रेय निश्चित रूप से भारतीय

श्री नरेन्द्र मोदी,
माननीय प्रधानमंत्री

वैज्ञानिकों और उद्यमियों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने इस बेहद कठिन चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने में अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत की बदौलत ही भारत टीकों के मामले में वास्तव में 'आत्मनिर्भर' बन गया है। इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकों की व्यापक मांग को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमारे टीका निर्माताओं ने अपना उत्पादन स्तर वृहद रूप से बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि वे किसी से भी कम नहीं हैं।

एक ऐसे राष्ट्र में जहां सरकारों को देश की प्रगति में बाधक माना जाता था, हमारी सरकार इसके बजाय बड़ी तेजी से देश की प्रगति सुनिश्चित करने में सदैव अत्यंत मददगार रही है। हमारी सरकार ने पहले दिन से ही टीका निर्माताओं के साथ सहभागिता की और उन्हें संस्थागत सहायता, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आवश्यक धनराशि मुहैया कराने के साथ–साथ नियामकीय प्रक्रियाओं को काफी तेज करने के रूप में भी हरसंभव सहयोग दिया। 'संपूर्ण सरकार' के हमारे दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप सरकार के सभी मंत्रालय वैक्सीन निर्माताओं की सहूलियत और किसी भी तरह की अड़चन को दूर करने के लिए एकजुट हो गए।

भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में सिर्फ उत्पादन करना ही काफी नहीं है। इसके लिए अंतिम व्यक्ति तक को टीका लगाने और निर्बाध लॉजिस्टिक्स पर भी फोकस होना चाहिए। इसमें निहित चुनौतियों को समझने के लिए जरा इसकी कल्पना करें कि टीके की एक शीशी को आखिरकार कैसे मंजिल तक पहुंचाया जाता है। पुणे या हैदराबाद स्थित किसी दवा संयंत्र से निकली शीशी को किसी भी राज्य के हब में भेजा जाता है, जहां से इसे जिला हब तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां से इसे टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाता है। इसमें विमानों की उड़ानों और ट्रेनों के जरिए हजारों यात्राएं सुनिश्चित करनी पड़ती हैं। टीकों को सुरक्षित रखने के लिए इस पूरी यात्रा के दौरान तापमान को एक खास रेंज में बनाए रखना होता है, जिसकी निगरानी केंद्रीय रूप से की जाती है। इसके लिए 1 लाख से भी अधिक शीत–श्रृंखला (कोल्ड–चेन) उपकरणों का उपयोग किया गया। राज्यों को टीकों के वितरण कार्यक्रम की अग्रिम सूचना दी गई थी, ताकि वे अपने अभियान की बेहतर योजना बना सकें और टीके पूर्व–निर्धारित तिथि को ही उन तक सफलतापूर्वक पहुंच सकें। अतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व प्रयास रहा है।

इन सभी प्रयासों को कोविन के एक मजबूत तकनीकी मंच से जबर्दस्त मदद मिली। इसने यह सुनिश्चित किया कि टीकाकरण अभियान न्यायसंगत, मापनीय, ट्रैक करने योग्य और पारदर्शी बना रहे। इसने सुनिश्चित किया कि टीकाकरण के काम में कोई पक्षपात या बिना पंक्ति के टीका लगवाने की कोई गुंजाइश ना हो। इसने यह भी सुनिश्चित किया कि एक गरीब मजदूर अपने गांव में पहली खुराक ले सकता है और उसी टीके की दूसरी खुराक तय समय अंतराल पर उस शहर में ले सकता है जहां वह काम करता है। टीकाकरण के काम में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए रियल–टाइम डैशबोर्ड के अलावा, क्यूआर–कोड वाले प्रमाणपत्रों ने सत्यापन को सुनिश्चित किया। इस तरह के प्रयासों का न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी शायद ही कोई उदाहरण मिले।

2015 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में मैंने कहा था कि हमारा देश 'टीम इंडिया' की वजह से आगे बढ़ रहा है और यह 'टीम इंडिया' हमारे 130 करोड़ लोगों की एक बड़ी टीम है। जनभागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम 130 करोड़ भारतीयों की भागीदारी से देश चलाएंगे तो हमारा देश हर पल 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। हमारे टीकाकरण अभियान ने एक बार फिर इस 'टीम इंडिया' की ताकत दिखाय्र है। टीकाकरण अभियान में भारत की सफलता ने पूरी दुनिया को यह भी दिखाया है कि 'लोकतंत्र हर उपलब्धि हासिल कर सकता है'।

मुझे उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में मिली सफलता हमारे युवाओं, हमारे शोधकर्ताओं और सरकार के सभी स्तरों को सार्वजनिक सेवा वितरण के नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी जो न केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक मॉडल होगा।

अगर कीमतों को नियंत्रण में नहीं लाया गया तो वैश्विक आर्थिक सुधार कमजोर पड़ सकता हैः हरदीप सिंह पुरी

शिमला। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में सीईआरए सप्ताह के पांचवें इंडिया एनर्जी फोरम में अपने स्वागत भाषण में कहा कि भारत का मानना है कि ऊर्जा तक सस्ती और विश्वसनीय पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाने के लिए स्वच्छ, सस्ती, विश्वसनीय और सतत ऊर्जा की जरूरत है। हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जब तक हम नई ऊर्जा अवसंरचना का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक विश्व को तेल और गैस की विश्वसनीय आपूर्ति की आवश्यकता है।

मंत्री ने कहा कि केवल यह कहना कि विश्व अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है, एक चुप्पी साधना होगा। उन्होंने आगे कहा कि ऊर्जा बदलाव के युग में, ऊर्जा बाजारों में असंतुलन इसकी प्रमुख विशेषता है।

पुरी ने कहा कि तेल और गैस की कीमतों का मौजूदा स्तर बहुत अधिक है। भारत 85 फीसदी आयातित तेल पर निर्भर है। वहीं 55 फीसदी गैस के लिए आयात पर निर्भरता है। उन्होंने कहा कि देश के आयात बिल का 20 फीसदी इन्हीं मदों से जुड़ा हुआ है। पिछली तिमाही में इन वस्तुओं का आयात बिल पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में लगभग तीन गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक अस्थिरता और उच्च कीमतों के कारण हाइड्रोकार्बन ईंधन की घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल की उच्च कीमतों का अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है, जिससे मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है और लॉजिस्टिक (रसद) लागत प्रभावित होती है। इस स्थिति को सचेत करने वाला बताते हुए पुरी ने कहा कि अगर कीमतों को नियंत्रण में नहीं लाया गया तो वैश्विक आर्थिक सुधार कमजोर हो सकता है। उन्होंने आगे इस बात को रेखांकित किया कि कीमतें अनुमान लगाने योग्य, विश्वसनीय और स्थिर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह लंबे समय में उत्पादकों को भी प्रभावित कर सकता है। पुरी ने कहा कि ओपेक+ देशों को उपभोक्ता देशों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

पुरी ने कहा कि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने के अपने प्रयासों में तेजी ला रहा है। उन्होंने कहा कि देश में पाइपलाइन, टर्मिनल, रीगैसिफिकेशन (फिर से गैसीकरण) सुविधाएं आदि अवसंरचना स्थापित करने के लिए लगभग 60 बिलियन(अरब) अमेरकी डॉलर का निवेश किया जा रहा है। देश 'वन राष्ट्र–एक ग्रिड' के रास्ते पर है, जिसमें पाइपलाइन की लंबाई 19,000 किलोमीटर से बढ़कर 35,000 किलोमीटर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्वेषण का क्षेत्र भी बढ़ रहा है और देश ने तेजी से कई सुधार किए हैं, जिससे ईएंडपी क्षेत्र में अधिक निवेश हो। जैव–ईंधन के बारे में मंत्री ने कहा कि इथेनॉल–मिश्रण पहले ही 10 फीसदी तक पहुंच चुका है और हम इसे जल्द ही 20 फीसदी तक ले जाने के लिए दृढ़–संकल्पित हैं। एसएटीएटी योजना के तहत 20 बिलियन (अरब) अमेरिकी डॉलर के निवेश से 5000 सीबीजी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हजारों चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा की ओर बदलाव की शुरूआत के लिए हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है।

भारत को अद्वीतीय मामला बताते हुए पुरी ने कहा कि विश्व की लगभग 16 फीसदी आबादी के साथ भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत दुनिया का केवल एक तिहाई है। हमारी ऊर्जा खपत बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम 2025 तक यूएस 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ऊर्जा न्याय हमारी सरकार के लिए एक प्रमुख उद्देश्य और प्राथमिकता है।

पुरी ने कहा कि भारत के पास वैश्विक समुदाय का छठा हिस्सा है और स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास व स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उनकी सफलता सुनिश्चित करेगी। आम तौर पर एसडीजी के सफल होने के लिए, भारत का सफल होना जरूरी है। ऐसा होने पर ही सामाजिक–आर्थिक बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऊर्जा क्षेत्र को इस रूप में देखते हैं, जो लोगों को सशक्त बनाता है और 'जीवन जीने में सुगमता' को आगे बढ़ाता है।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगे बढ़ने के लिए पिछले साल भारत की ऊर्जा रणनीति के सात प्रमुख स्तंभों की परिकल्पना की थी। सामूहिक रूप से ये भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने में सहायता करेंगे। भारत एक एकीकृत तरीके से गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास, जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ उपयोग, 2030 तक 450 गीगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने, जैव ईंधन को चलाने के लिए घरेलू ईंधन पर अधिक निर्भरता, विद्युत के योगदान में बढ़ोतरी, हाइड्रोजन जैसे उभरते ईंधन की ओर बढ़ने और सभी ऊर्जा प्रणालियों में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम बड़े पैमाने पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर बदलाव के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत जलवायु कार्रवाई पर अपनी प्रतिबद्धता को लेकर अडिग है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा से संबंधित सर्वश्रेष्ठ अभ्यास पर पुरी ने कहा कि समय को देखते हुए नए भारत के निर्माण में सबसे अच्छे विचारों को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे अनुबंध अच्छे अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग अभ्यासों के साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि उन्होंने सवाल किया कि क्या ये पर्याप्त हैं या क्या इनके बीच कोय्र अंतर है, जिनका नवीन सोच और कार्यान्वयन के साथ समाधान करने की आवश्यकता है।

पुरी ने कहा कि फोरम में इस साल की विषयवस्तु 'भारत के नए ऊर्जा भविष्य का निर्माणः स्वच्छ, वहनीय, विश्वसनीय, टिकाऊ' को अच्छी तरह से चुना गया है, क्योंकि भारत के ऊर्जा परिवर्तन के कई आयाम हैं। इसके अलावा परिणामों पर लगातार ध्यान देने के साथ भारत का ऊर्जा क्षेत्र बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर को दी गरिमापूर्ण विदाई

शिमला/शैल। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर को गरिमापूर्ण विदाई देने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर का स्थानांतरण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में किया गया है।

कार्यवाही का संचालन रजिस्ट्रार जनरल वीरेंद्र सिंह ने किया।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक ने कहा कि न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर का स्वभाव स्नेही है और वह लोगों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर के सौहार्दपूर्ण व्यवहार और विनम्रता ने उन्हें बार और बेंच के सदस्यों का प्रिय बनाया और उनकी उपस्थिति को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सदैव याद रखा जाएगा।

इस अवसर पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने मुख्य न्यायाधीश का धन्यवाद और सराहना करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश में गहन अध्ययन और परिपक्व समझ और अनेक उल्लेखनीय गुण हैं।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने कहा कि उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का हिस्सा होने पर बेहद गर्व महसूस होता है। उन्होंने विधि व्यावसाय के युवा सदस्यों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने वरिष्ठों से सीखकर अधिक परिपक्व और कानूनी कौशल हासिल करने का परामर्श दिया।

उन्होंने अधिवक्ताओं से न केवल पुराने दीवानी, आपराधिक और राजस्व कानूनों के प्रति अपने कौशल का उपयोग करने के लिए कहा, बल्कि हाल ही में अधिनियमित कराधान और कॉरपोरेट कानूनों और अब दिवालियापन, मध्यस्थता, क्रिप्टोकरेंसी आदि से संबंधित नए कानूनों में भी निपुण होने को कहा।

उन्होंने उन सभी लोगों को याद किया, जिन्होंने उनके कानूनी व्यक्तित्व को तराशने में योगदान दिया। उन्होंने विशेष रूप से उनकी माता प्रसिद्ध कवयित्री निर्मला ठाकुर, उनके दिवंगत पिता, न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर, उनके भाई, बहनों और अधिवक्ता क्लर्क से लेकर माननीय न्यायाधीशों को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय बार और रजिस्ट्री के अधिकारियों एवं कर्मचरियों की सराहना की और उनका आभार व्यक्त किया।

महाधिवक्ता अशोक शर्मा, हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष अजय कोछड़, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लवनीश कंवर, भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल बलराम शर्मा ने भी इस अवसर पर सम्बोधित किया और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर को शुभकामनाएं दीं।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर को फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद गार्ड ऑफ ऑनर और गर्मजोशी से विदाई दी गई।

फुल कोर्ट रेफरेंस में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ शामिल हुए।

अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायमूर्ति पी. एस. राणा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.पी. सूद, न्यायमूर्ति ए.के. गोयल, न्यायमूर्ति के.सी.सूद और न्यायमूर्ति वी.के. शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अन्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री के अधिकारी और कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन से राज्य में स्वास्थ्य नेटवर्क मजबूत होगा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से देश के लिए 64,000 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन खुराक का एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद, मां गंगा के प्रति दृढ़ आस्था और काशी के लोगों के अटूट विश्वास से सभी के लिए निःशुल्क टीकाकरण का अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस मेगा मिशन का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अगले चार-पांच वर्षों में गांव से ब्लॉक स्तर तक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत करने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह मिशन लोगों को उनके घरों के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मिशन के तहत गांवों और शहरों में स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे, जहां बीमारियों का शीघ्र पता लगाने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, निःशुल्क जांच और दवाईयों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया कि इस मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज करना होगा प्रस्तुत

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सी .पालरासु ने मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की व जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे इन उप-निर्वाचन के दृष्टिगत 30 अक्तूबर, 2021 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उप-निर्वाचन में सभी मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करते समय अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य अथवा केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि एपिक के संबंध में लेखन की अशुद्धि, बर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है तो ऐसे एपिक भी पहचान करने के लिए स्वीकार किए जायेंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को कोई एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचकों जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20d के अधीन निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केंद्रों में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा और ऐसे मामलों में कोई अन्य दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

15 से 18 नवम्बर, 2021 तक धर्मशाला में होगा 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन:विपिन सिंह परमार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि जिला कांगडा स्थित धर्मशाला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन 15 से 18 नवम्बर, 2021 तक आयोजित किया जायेगा। परमार ने कहा कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के चेयरमैन ओम बिड़ला ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को धर्मशाला में आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। परमार ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के अतिरिक्त वैधानिक समितियों के सचिवों का 58वां सम्मेलन भी 15 नवम्बर को धर्मशाला में आयोजित किया जायेगा। परमार ने कहा कि इस सम्मेलन में सभी राज्यों की विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष व प्रधान सचिव/सचिव भी भाग लेंगे। परमार ने कहा कि प्रत्येक राज्य विधान सभाओं से कुल 4 प्रतिनिधि (अध्यक्ष, उपाध्यक्षा, सचिव तथा एक वरिष्ठ अधिकारी) इस सम्मेलन में भाग लेंगे। परमार ने कहा कि इसके अतिरिक्त लोकसभा व राज्य सभा सचिवालय के महा-सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे जबकि हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव जो इस सम्मेलन से जुड़े है तथा विधान सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। परमार ने कहा कि लोक सभा, राज्य सभा, सभी राज्य विधान सभाओं से लगभग 450 प्रतिभागी इस सम्मेलन में शामिल होंगे।

परमार ने कहा कि इस कार्यक्रम में 14 नवम्बर को अतिथियों का आना आरम्भ होगा तथा 15 नवम्बर, 2021 को सचिवों का 58वां सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि 16 नवम्बर तथा 17 नवम्बर को पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा जिसका शुभारम्भ लोक सभा के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के चेयरमैन ओम बिड़ला 16 नवम्बर को करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य सभा के उप-सभापति, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जय राम ठाकुर, मन्त्री परिषद के सभी सदस्यगण, लोक सभा तथा राज्य सभा के महासचिव, राज्य विधान सभाओं के सचिव भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। परमार ने कहा कि 18 नवम्बर को सम्मेलन बाद का दर्शनीय स्थलों भ्रमण तथा अतिथियों द्वारा प्रस्थान किया जायेगा।

परमार ने कहा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1921 में 15 व 16 सितम्बर को शिमला में आयोजित किया गया था। उसी को सुस्मरण करते हुए 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को शताब्दी वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला तपोवन विधान सभा में आयोजित किया जा रहा है। परमार ने कहा कि विधान सभा सचिवालय में इसके आयोजन की तैयारिया शुरू कर दी हैं तथा उन्होंने जिला प्रशासन कांगड़ा के साथ पिछले महीने बैठक कर उचित दिशा निर्देश जारी कर दिये थे।

कोविड के बाद वैक्सीन सुपरपॉवर के नाम से जाना जाएगा भारत

–डॉ. बलराम भार्गव
महानिदेशक भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान (ICMR)

शिमला। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में 100 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा छूकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। विश्व में लगी 700 करोड़ वैक्सीन में से सातवां हिस्सा भारत का है। खास बात यह रही है कि भारत ने सिर्फ टीकाकरण ही नहीं किया बल्कि दो–दो सफल वैक्सीन निर्माण के बाद विश्व में आपूर्ति के साथ–साथ भारत में टीकाकरण की रफ्तार को बनाए रखना अपने आप में बड़ी सफलता रही है।

भारत में 100 करोड़ खुराकों के टीकाकरण के लिए सबसे पहला श्रेय मैं हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को देना चाहता हूं। जिन्होंने अथक प्रयास मेहनत और समर्पण के साथ ही महामारी के जटिल समय में भी बिना किसी विश्राम के अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर काम किया। यह सफलता या ऐतिहासिक पड़ाव उन सभी के सामूहिक प्रयास की वजह से हासिल हुआ है। दूसरा पिछले कई दशक से नवजात शिशु और माताओं के लिए संचालित किए जाने विश्व के सबसे बड़े नियमित टीकाकरण अभियान की बदौलत हमारी स्वास्थ्य सेवा टीम को टीकाकरण के संदर्भ में बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ। जिसने टीकाकरण के लिए मनोबल को बढ़ाया।

तीसरा टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार के विभिन्न आयामों के एक समग्र लक्ष्य ने इस यात्रा में सहयोग दिया। सरकार की विभिन्न इकाइयां जैसे नीति आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नेगवैग विशेषज्ञ समूह, सुसंगठित समितियां और अन्य मंत्रालयों का स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहयोग आदि ने एकजुट होकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

सौ करोड़ टीकाकरण के इस कीर्तिमान को स्थापित करने में सरकार की जरूरतों के अनुसार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक और निजी भागीदारी के साथ काम करने की क्षमता को भी प्रदर्शित किया है। जिसके परिणामस्वरूप अनिश्चितताओं के इस समय में भी जीत मिली है। चाहे वह कोविन प्लेटफार्म को स्थापित करना हो या फिर व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणी समूहों के लोगों के टीकाकरण को प्राथमिकता देना हो। बड़े और व्यापक टीकाकरण अभियान में छोटे निर्णयों को भी ध्यान में रखा गया। जिसके परिणाम स्वरूप सौ करोड़ टीकाकरण का मुकाम हासिल किया गया। इन सबसे बढ़कर देश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी एक स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई और इसके बेहतर परिणाम मिले।

इस तरह से वैक्सीन को बनाने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ काम करने से एक दूसरे के प्रति विश्वास और क्षमताओं पर भरोसा पहले से अधिक बढ़ा है। इस पूरे चरण में दो तरीके से काम किया गया। पहला आईसीएमआर का भारत बायोटेक पर भरोसा बढ़ा। दूसरा भारत बायोटेक का आईसीएमआर पर भरोसा बढ़ा।

वैक्सीन विकास पर काम करने की शुरूआत के समय से ही आईसीएमआर–भारत बायोटेक ने यह स्पष्ट कर लिया था कि किसी भी तरह के वैज्ञानिक परीक्षण या विकास को एक वैज्ञानिक आधार के साथ किया जायेगा और किये गये काम के दस्तावेजों को साइंटिफिक जर्नल वैज्ञानिक शोध पत्रिका में प्रकाशित कराया जायेगा। अब जैसा कि हमें पता है कि कोवैक्सिन के वैज्ञानिक प्रमाणों पर प्रकाशित 15 से अधिक शोध पत्रों की अंतराष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं ने प्रशंसा की है। यह सभी शोधपत्र वैज्ञानिक साहित्य जगत में वैश्विक स्तर पर वैक्सीन शोध विकास और प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं फिर चाहे वह वैक्सीन का परीक्षण पूर्व विकास हो, छोटे जानवरों पर वैक्सीन का शोध हो, हैम्सटर अध्ययन हो, बड़े जानवरों पर वैक्सीन ट्रायल आदि हो।

इन शोध पत्रिकाओं में वैक्सीन विकास के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के परिणाम लंबे समय से प्रकाशित होते रहे हैं। वैक्सीन परीक्षणों के इन अध्ययनों में अल्फाए बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की प्रमाणिकता को भी प्रभावी तरीके से शामिल किया गया।

सबसे पहले तो वैक्सीन विकास के अनुभव से हमें इस बात का आत्मविश्वास बढ़ा है कि भारत अब फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड से कहीं अधिक वैक्सीन सुपरपॉवर में भी आगे है। महामारी के बुरे दौर के बीच वैक्सीन विकास के अनुभव से प्राप्त आत्मविश्वास से हम आगे भी अन्य बीमारियों के लिए नये वैक्सीन का निर्माण कर सकेंगे। यह केवल भारतीय आबादी के लिए ही नहीं बल्कि विश्व की आबादी के लिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे सभी प्रयासों का अंर्तनिहिंत सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम या दुनिया एक परिवार है का है।

दूसरा एक दशक से भी अधिक समय से हम जेनेरिक दवाओं को बनाने के लिए पॉवर हाउस के रूप में जाने जाते रहे हैं। कोविड–19 का यह अनुभव मूल्य श्रंखला को आगे बढ़ाने और विशिष्ट होने के लिए दवा की खोज या वैक्सीन खोज में नया प्रतिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अनुभव का अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए हमें शिक्षा और उद्योगों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर काम करना होगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह पहले से ही किया जा रहा है, जहां आईआईटी में प्रोफेसर परामर्श करते हैं और नये प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह का प्रयोग अभी बायो मेडिकल और चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में नहीं किया गया है। इन जगहों में हमारे शिक्षाविदों को प्रोत्साहन देना होगा और उनके द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा से लाभ उठाने की आवश्यकता होगी ताकि वे नये प्रयोगों के बारे में प्रेरित हो सकें। ऐसे सभी रास्ते हमें अभी स्थापित करने हैं।

बिजली क्षेत्र में निवेशक और अन्य हितधारक कानूनों में बदलाव

शिमला। विद्युत मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बिजली क्षेत्र की स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नियम अधिसूचित किये हैं ।

बिजली क्षेत्र में निवेशक और अन्य हितधारक कानूनों में बदलाव, नवीकरणीय ऊर्जा में कटौती एवं अन्य संबंधित मामलों के कारण लागत की समय पर वसूली के बारे में चिंतित थे। विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए निम्नलिखित नियम बिजली उपभोक्ताओं और हितधारकों के हित में हैं:

i) बिजली (कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021

ii) बिजली (अनिवार्य रूप से चले एवं अन्य मामलों का समाधान करने के बाद ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना) नियम, 2021

कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजली क्षेत्र में निवेश बहुत सीमा तक समय पर भुगतान किए जाने पर ही निर्भर करता है। वर्तमान में कानून में बदलाव के तहत निकासी में समय लगता है और इससे इस क्षेत्र की व्यवहार्यता भी प्रभावित होती है, साथ ही परियोजनाओं में निवेश करने वाले डेवलपर्स भी आर्थिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं। नए नियम देश में निवेश का अनुकूल माहौल बनाने में मदद करेंगे।

ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व भर में परिवर्तन आ रहे है। भारत ने भी ऊर्जा परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्धताएं की हैं। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता स्थापित करने और वर्ष 2030 तक इसे 450 गीगावाट तक कर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भी घोषणा की है। ये नियम नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ताओं को हरित और स्वच्छ बिजली मिले तथा आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुरक्षित हो सके।

कानून में बदलाव के प्रभाव के कारण मासिक शुल्क में समायोजन की गणना के लिए एक सिद्धांत भी दिया गया है।

नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि एक अनिवार्य रूप से चलने वाले बिजली संयंत्र को योग्यता आदेश को पूरा करने अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक विचार के कारण बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में कटौती या विनियमन के अंतर्गत नहीं लाया जायेगा। बिजली ग्रिड में किसी भी तकनीकी बाधा की स्थिति में या बिजली ग्रिड की सुरक्षा के कारणों के चलते ही अनिवार्य रूप से चलने वाले किसी बिजली संयंत्र से उत्पन्न बिजली को कम या विनियमित किया जा सकता है। बिजली में कटौती या उसके विनियमन के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। अनिवार्य रूप से चलने वाले बिजली संयंत्र से आपूर्ति में कटौती की स्थिति में , बिजली की खरीद या आपूर्ति के लिए समझौते में निर्दिष्ट दरों पर खरीदार द्वारा बिजली संयंत्र को मुआवजा देय होगा। नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के उत्पादक को पावर एक्सचेंज में बिजली बेचने और उचित लागत वसूलने की भी अनुमति है। इससे उत्पादक द्वारा राजस्व की वसूली में मदद मिलती है तथा उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए बिजली ग्रिड में बिजली भी उपलब्ध हो जाती है।

इन नियमों में वितरण लाइसेंसधारियों के लिए बिजली की खरीद हेतु मध्यस्थ खरीदार की व्यवस्था का भी प्रावधान है। इस संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ नियमो में कहा गया है कि 'मध्यवर्ती खरीददार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामित एक एजेंसी होगी और जो केंद्र सरकार द्वारा एक या अधिक वितरण लाइसेंसधारियों को बिक्री के लिए अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बोली की एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से बिजली खरीद सकती है।

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन की डिजी–बुक इनोवेशन्स फॉर यू सेक्टर इन फोकस–हेल्थ केयर का लोकार्पण

शिमला। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) ने 'इनोवेशन्ज्स फॉर यू, सेक्टर इन फोकस हेल्थकेयर' का लोकार्पण किया है जो विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलताओं को दर्शाने का प्रयास है। इन स्टार्टअप्स ने नए, बाधाकारी और नवोन्मेशी उत्पादों, सेवाओं और समाधान के लिए काम किया है जो एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस पुस्तक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल में नवाचारों पर केन्द्रित है और जल्द ही अन्य क्षेत्र भी इसका अनुसरण करेंगे।

देश स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इनोवेशन्स फॉर यू श्रृंखला में अटल इनोवेशन मिशन विभिन्न क्षेत्रों में अभिव्यक्ति स्टार्टअप को आकर्षित कर रहा है जो महामारी के बाद के युग में एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए नव परिवर्तन ला रहे हैं।

इस पुस्तक में देश भर में फैले अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स में विकसित 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप्स का संकलन किया गया है। ये स्टार्टअप एआई, आईओटी, आईसीटी और अन्य प्रमुख तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं ताकि एनीमिया, मलेरिया, दंत चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, नवजात और बच्चे की देखभाल और मानव जीवन के आवश्यक अंगों की निगरानी जैसी समस्याओं के लिए सामाजिक रूप से उचित समाधान प्रदान किए जा सकें।

डिजी–पुस्तक का लोकार्पण नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉ. वी. के. पॉल, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, अपर सचिव डॉ. राकेश सरवाल और अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के मिशन निदेशक डॉ. चिंतन वैष्णव की उपस्थिति में किया गया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने स्टार्टअप और उनके नवोत्पादों की सराहना करते हुए कहा– 'यह पुस्तक आने वाले उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगी जो भारत की कुछ प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए रचनात्मकता और कल्पना के मार्ग पर काम करेंगे।

उपाध्यक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए सदस्य स्वास्थ्य, डॉ. वी. के. पॉल–ने एआईएम टीम को बधाई दी और इस पुस्तक के संकलन में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए उनके काम और नवाचारों को स्वीकार करते हुए अटल इनक्यूबेशन सेंटर और उनके द्वारा विकसित स्टार्टअप की भी सराहना की।

नीति आयोग के सीईओ ने कहा–'इनोवेशन्स फॉर यू यह दिखाने का एक प्रयास है कि किस प्रकार युवा भारत धीरे–धीरे लेकिन लगातार विश्व स्तर का मार्गदर्शक बनने की ओर बढ़ रहा है। अटल इनोवेशन मिशन के साथ भारत सरकार स्टार्टअप्स और युवा नेताओं को उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रही है।'

नीति आयोग के अपर सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. राकेश सरवाल ने भी एआईएम टीम के प्रयासों की सराहना की और स्वास्थ्य देखरेख संबंधी नव परिवर्तनों के क्षेत्र में स्टार्टअप द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार किया।

अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक डॉ. चिंतन वैष्णव ने पुस्तक में उल्लिखित 45 इनोवेटर्स को बधाई दी और इस बात पर जोर दिया कि आज के स्टार्टअप किस प्रकार बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहेली को सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

अटल इनोवेशन मिशन की डिजी–पुस्तकश्रृंखला–'इनोवेशन्स फॉर यू, सेक्टर इन फोकस हेल्थकेयर' बेहतरीन नवोन्मेश लाई है और उद्यमियों को अग्रणी स्थान पर लाती है। पुस्तक के बाद के संस्करण अन्य उभरते क्षेत्रों जैसे अन्य विषयों के अलावा एग्रीटेक, एडुटेक, मोबिलिटी, ईवी पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के बारे में

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) देश में नवोन्मेश और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। एआईएमको देश के इनोवेशन इकोसिस्टम का प्रबंध करने और इनोवेशन इको–सिस्टम में क्रांति लाने के लिए उद्योग विशिष्ट संस्थानों की एक संस्था बनाने का काम सौंपा गया है–जो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समूचे नवोन्मेशी चक्र का मोटे तौर पर जिक्र करता है।

अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज (एटीएल) नई खोज करने वालों को तैयार करता है, अटल इनक्यूबेशन केन्द्र स्थापित इनक्यूबेशन केन्द्रों की सहायता करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि नई खोज को बाजार में ले जाया जाए और इन नवोन्मेशों के आसपास उद्यम बनाने में मदद मिले, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर आधिकारिक तौर पर भारत के क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को नही प्राप्त/पर्याप्त तौर पर नहीं प्राप्त सेवा अथवा सुविधा वाले लोगों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के लाभों को बढ़ावा दे रहे हैं। अटल न्यू इंडिया चुनौतियां राष्ट्रीय सामाजिक–आर्थिक प्रभाव वाले उत्पाद और सेवा नवाचार पैदा कर रही हैं और एआरआईएसई एएनआईसीचुनौतियां एमएसएमई/स्टार्टअप क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से नवाचार को बढ़ावा देती हैं।।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

क्या एक तरफा होंगे इन उपचुनावों के परिणाम

शिमला/शैल। इन उप चुनावों का परिणाम क्या होगा उसका भाजपा और कांग्रेस की अपनी-अपनी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? यह सवाल इस उपचुनाव के विश्लेषण के मुख्य बिन्दु होंगे। क्योंकि यदि भाजपा इसमें हारती है तो भी उसकी सरकार पर इसका कोई असर नहीं होगा। हां यदि भाजपा जीत जाती है तो यह उसकी नीतियों की जन स्वीकारोक्ति होगी और इसके बाद जनता को महंगाई बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार पर कोई आपत्ति करने का हक नहीं रह जायेगा। दूसरी और यदि कांग्रेस हारती है तो उसके नेतृत्व के अक्षम होने पर और मोहर लग जायेगी। यदि कांग्रेस जीतती है तो जनता को भविष्य के लिए एक आस बंध जायेगी। महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगने की उम्मीद जग जायेगी। यह उपचुनाव कांग्रेस भाजपा की बजाये जनता की अपनी समझ की परीक्षा ज्यादा होगी। क्योंकि आज सरकार के पक्ष में ऐसा कुछ नही है जिसके लिये उसे समर्थन दिया जाये। हां यह अवश्य है कि उपचुनाव के परिणाम मुख्यमंत्री और उनकी सलाहकार मित्र मण्डली की व्यक्तिगत कसौटी माने जायेंगे। राम मंदिर निर्माण तीन तलाक और 370 खत्म करने की सारी उपलब्धियां महंगाई और बेरोजगारी में ऐसी दब गयी हैं कि उपलब्धि की बजाये कमजोर पक्ष बन चुके हैं। जनता का रोष यदि कोई पैमाना है तो यह परिणाम एक तरफा होने की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि इन चुनावों में ''भगवां पटका-बनाम भगवां पटका'' जिस तरह से फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई में सामने आया है। उससे पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर ही ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जिनसे विश्वसनीयता ही सवालों में आ जाती है। मंडी मुख्यमंत्री का गृह जिला है कांग्रेस विधानसभा की दसों सीटें हार चुकी है और लोकसभा भाजपा ने चार लाख के अंतर से जीती है। आज इसी मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में 14 हेलीपैड बनाये जाने का आरोप लगगा है और इस मामले में कोई भी इसके पक्ष में नहीं आया है। फोरलेन प्रभावितों का मुद्दा आज भी जस का तस है। ऊपर से बल्ह में प्रस्तावित हवाई अड्डे से यहां के लोगों की हवाईयां उड़ी हुई हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि वह मंडी से मुख्यमंत्री के होने को वरदान माने या अभिशाप। मंडी शहर के बीच स्थित विजय माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में शॉपिंग मॉल का निर्माणऔर वह भी तब जबकि बच्चों की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है इससे क्या संदेश जायेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मंडी में सड़कों की हालत सुंदरनगर से मंडी तक के गड्डे ही ब्यान कर देते हैं। शिवधाम प्रोजेक्ट पर अभी काम तक शुरू नहीं हो पाया है। इस जमीनी हकीकत का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा यह अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल्लू में देव संसद की नाराजगी नजरानें के मुद्दे पर सामने आ गयी है। लाहौल स्पीति में मंत्री का अपने ही क्षेत्र में घेराव हो चुका है। एस टी मोर्चा के पदाधिकारी के साथ मंत्री का झगड़ा सार्वजनिक हो चुका है। किन्नौर की त्रासदी ने प्रशासन और पर्यावरण से छेड़छाड़ को जिस तरह से मुद्दा बनाया गया है उसके परिणाम दुरगामी होंगे। इन बिंदुओं को सामने रखकर मंडी सीट का आकलन कोई भी कर सकता है। फतेहपुर में खरीद केंद्र को लेकर भाजपा प्रत्याशी का घेराव हो चुका है। जिस तरह के पोस्टर लगाकर कृपाल परमार का टिकट काटा गया था वैसे ही पोस्टर उम्मीदवार के खिलाफ भी आ चुके हैं। जिस मंत्री को फतेहपुर की कमान दी गयी है उस मंत्री के बेटे के खिलाफ बने मामले ने मंत्री की धार को कुंद करके रख दिया है। कोटखाई जुब्बल में तो यही स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बरागटा और उनके समर्थकों का विद्रोह प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ है या केंद्रीय नेतृत्व के। फिर सेब का सवाल अपनी जगह खड़ा ही है। इन दोनों क्षेत्रों में भगवां बनाम भगवां होने से भाजपा की कठिनाई ज्यादा बढ़ गयी है। अर्की में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ जब अदालत में लंबित मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया और उसका जबाव लीगल नोटिस जारी करके दिये जाने से मुद्दे उठाने वाले ही कमजोर हुये हैं। क्योंकि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ क्षेत्र के टमाटर उत्पादकों में ही रोष है। अब इस रोष को कांग्रेस को तालिबान से जोड़कर दबाने का प्रयास किया जा रहा है परंतु इसका जबाव सोलन में एक भाजपा नेता की गाड़ी से एक समय चिट्टा पकड़े जाने से दिया जा रहा है। इस प्रकरण में पुलिस ने नेता के ड्राइवर के खिलाफ तो मामला बना दिया था परंतु नेता की गाड़ी को छोड़ दिया गया था। इस कांड का वीडियो भी वायरल हो चुका है। इन मुद्दों के आने से अर्की में भी समीकरण बदलने शुरू हो गये हैं।

उपचुनाव में भ्रष्टाचार

.....पृष्ठ 1 का शेष

खर्च के दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यह सारा खर्च आपदा प्रबंधन के नाम पर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आपदा प्रबंधन में जब इस खर्च की समीक्षा की जाने लगी तब इन दस्तावेजों की आवश्यकता हुई और यह नहीं मिल पाये हैं। आपदा प्रबंधन ने इस संबंध में जिलों को एक कड़ा पत्र भी लिखा है और इसका पूरा लेखा तैयार करने के लिए ए.जी. की टीम को भी बुला लिया गया है। कोविड के नाम पर हुये इस करोड़ों के खर्च पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गये हैं। परंतु विपक्ष इस पर भी मौन है। इसी तरह इस सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में भी कई मामलों में गंभीरता ना दिखाने के लिए जुर्माने लग चुके हैं। कई मामलों में तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से यह जुर्माना वसूलने के आदेश हैं। जब भी किसी विभाग की लापरवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय जुर्माना लगता है तो कायदे से सरकार संबद्ध अधिकारी से जवाब मांगती है। लेकिन इस सरकार में आज तक एक भी मामले में ऐसी कारवाई नहीं हो पायी है। यही नहीं करीब आधा दर्जन ऐसे मामले हैं जिनमें अदालतों के फैसलों पर अमल नहीं किया गया है और यह सारे मामले भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही ना किया जाना और इन पर विपक्ष के खामोश रहने को ही शायद सरकार विकास मान रही है। वैसे आज तक प्रदेश में कोई भी सरकार विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीत पाई है। हर चुनाव में भ्रष्टाचार केंद्रीय मुद्दा रहा है। इस उपचुनाव में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस-भाजपा दोनों का बराबर चुप रहना है क्या गुल खिलायेगा यह देखना रोचक होगा।

क्या भ्रष्टाचार को संरक्षण देना भाजपा की संस्कृति है

शिमला/शैल। क्या भ्रष्टाचार को संरक्षण और इसके खिलाफ आवाज उठाने और सवाल पूछने वालों की आवाज बंद करवाने का प्रयास करना भाजपा सरकारों की संस्कृति है? यह सवाल शांता कुमार द्वारा अपनी आत्मकथा में भ्रष्टाचार की सनसनी खेज खुलासा करने और इसके कारण मंत्री पद छीने जाने के बाद भी भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने से उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि जयराम सरकार की स्कूल के बच्चों को सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से हर वर्ष वर्दी देने का काम कर रही है। शिक्षा विभाग में यह जिम्मेदारी निदेशक प्राईमरी शिक्षा को दी गयी है। शिक्षा विभाग के लिए वर्दी खरीद का काम सरकार की नागरिक आपूर्ति निगम करती है। 2015 में वर्दी खरीद में घपला होने के आरोप लगे थे। विधानसभा में इस आश्य के सवाल पूछे गये थे। यह सवाल उठने के बाद सरकार ने इस खरीद की जांच करने के आदेश दिये थे। जांच के लिए 2 अतिरिक्त मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में दो कमेटियों का गठन हुआ था। एक कमेटी ने 2012-13 में और 2013-14 में खरीद की जांच की और दूसरी ने 14-15 की जांच की। 2012-13 में हुई खरीद में कोई घपला नहीं पाया गया। परंतु 2013-14 की खरीद में गड़बड़ी पाई गयी और इसके लिए सप्लायरों पर 1.52 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। 2014-15 की खरीद में भी घपला पाया गया और कमेटी ने इसके लिए 3.88 करोड़ का जुर्माना लगाया। कमेटियों की यह रिपोर्ट आने के बाद सप्लायर आर्बिट्रेशन में चले गये। और वहां पर इस आधार पर उनको राहत मिल गयी कि वर्दियां सप्लाई हो चुकी हैं और बच्चों ने इस्तेमाल भी कर ली हैं। आर्बिट्रेशन का फैसला 2017 के अंत तक आया तब चुनावी प्रक्रिया भी चल पड़ी थी। इसलिए इस फैसले पर ज्यादा कार्यवाही ना हो सकी। इसी दौरान सरकार बदल गयी। नई सरकार में शिक्षा मंत्री के सामने जब यह मामला आया तब यह पाया गया कि शिक्षा विभाग ने इसमें आर्बिट्रेशन के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का नागरिक आपूर्ति निगम से आग्रह किया था। क्योंकि यह खरीद टेंडर इसी निगम के माध्यम से जारी हुआ था। इसको उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम ही अधिकृत था। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी फाइल पर इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने की संस्तुति की हुई है। नागरिक आपूर्ति निगम ने शिक्षा विभाग के आग्रह को सीधे-सीधे नजरअंदाज कर दिया। नागरिक आपूर्ति निगम ने किसके दबाव में उच्च न्यायालय जाने का साहस नहीं किया यह आज तक रहस्य बना हुआ है। सप्लायरों का पैसा निगम के पास पड़ा हुआ था। जिसे बाद में दे दिया गया। इससे सरकार को करीब छः करोड़ का नुकसान हुआ है और यह भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का सीधा मामला बनता है।

इसी तरह हाइड्रो कॉलेज के निर्माण में करीब 10 करोड़ का नुकसान हुआ है और यह नुकसान भी भारत सरकार के उपक्रम एन पी सी सी के माध्यम से हुआ है। क्योंकि निर्माण के लिए भारत सरकार की एजेंसी का चयन हुआ था। और ठेकेदार आमंत्रित करने का टेंडर इस एजेंसी ने जारी किया। इसमें जो निविदाएं आयी उनमें न्यूनतम रेट 92 करोड़ था। परंतु एजेंसी ने काम 103 करोड़ का रेट देने वाले को दे दिया। हिमाचल का तकनीकी विभाग इस पर खामोश रहा। यह तर्क दिया कि भारत सरकार की एजेंसी काम करवा रही है। विभाग यह भूल गया कि पैसा तो हिमाचल सरकार का है। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर दो बार सदन में सवाल रख चुके हैं। परंतु यह सवाल लिखित उत्तर तक ही रह गया। सरकार ने अपने स्तर पर इसमें कोई कार्रवाई करना ठीक नहीं समझा। यह दोनों मामले 2018 में इस सरकार के आते ही घट गए थे । इन मामलों में अफसरशाही हावी रही है या राजनीतिक नेतृत्व के भी सहमति रही है इस पर अब तक रहस्य बना हुआ है परंतु करोड़ों का चूना लग गया यह स्पष्ट है।

FY 2013-14

Sr.	Name of Supplier	Quantity supplied	Number of samples drawn	Number of sample failed	Penalty imposed for failure of sample
1	M/s RSWM,Noida (For Girls Uniform)	4,13,480	34	17	82,22,009
2	M/s Banswara Syntex Ltd; Mumbai	4,13,591	26	8	70,57,606
	Total	8,27,071	60	25	1,52,79,615

FY 2014-15

Sr. No.	Name of Supplier	Quantity of supply order	Number of samples to be drawn @ 0.05% for testing	Analysis report of sample received after testing	No. of sample found failed during testing from Labs.	Amount recovered of the Uniform Cloth supplied to Indenting Officers
1.	M/S Gupta Textiles, Ambala	3,89,930	193	92	28	2,03,10,385
2.	M/S Banswara Syntex Ltd., Mumbai	3,91,579	193	101	29	1,85,67,524
	Total:-	7,81,509	386	193	57	3,88,77,909